कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।

संख्या 6789 /आ0ले0–जि0अ0–2015 दिनांक जून 22, 2015

1– मुख्य चिकित्साधिकारी फर्रूखाबाद।

2– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट

फर्रूखाबाद।

अपने–अपने क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से इलाज कर रहे तथाकथित चिकित्सकों के विरूद्व कठोर कार्यवाही करते हुए चिकित्सालयों को बन्द कराया जाये और यह सुनिश्चित करें कि बिना नियमानुसार पंजीकरण कराये कोई चिकित्सकीय परामर्श का कार्य नहीं करेगा। यह स्थिति सभी तरह के चिकित्सकीय परामर्श पर लागू होगी, भले ही वह आयुर्वेद क्यों न हो।

चिकित्सा कार्य से जुड़े सभी ऐसे लोगों को जो दवाइयों की विकी, बीमारों की देखभाल का कार्य करते हैं, वह मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रमाण पत्र के बिना यह कार्य नहीं करेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी स्वंय सभी नियमों का परीक्षण करके योग्यता से सन्तुष्ट होने के उपरान्त निर्गत करेंगे। प्रमाण–पत्र को मेडिकल स्टोर एवं परामर्श केन्द्र के बाहर प्रदर्शित किया जायेगा। प्रत्येक प्रमाण–पत्र पर पत्र संख्या का उल्लेख किया जायेगा जिसे बाहर प्रदर्शित किया जायेगा। आयुर्वेद, होम्योपैथ व पशु चिकित्सा से जुड़े तथा कथित चिकित्सक अपनी योग्यता के अभिलेख सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी जैसे जिला आयुर्वेद अधिकारी, जिला होम्योपैथिक अधिकारी व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे। इन अधिकारियों की व्यक्तिगत सन्तुष्टि और उनके द्वारा निर्गत उत्तरदायित्व वहन करने के प्रमाण पत्र के बाद ही जिले में इनके द्वारा चिकित्सा कार्य किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्णय निजी चिकित्सालयों में आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उददेश्य से लिया गया है। इसका शत प्रतिशत पालन आगामी 15 दिवस में निरन्तर अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाये।

अनाधिकृत तौर पर संचालित ऐसे परामर्श चिकित्सा केन्द्र और दवा बिकी केन्द्रों को सील कर दिया जाये और नोटिस चस्पा कर दी जाये कि बिना अधिकृत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये कोई व्यक्ति यह परिसर अथवा दुकान नहीं खोल सकेगा।

/

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0शासन लखनऊ की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ को इस आशय से कि कृपया सभी थानों में सन्देश प्रसारित कर उपरोक्त आदेश का कियान्वन कराने में सहयोग करायें तथा पुलिस को भी ऐसे केन्द्रों की सूचना एकत्र कर उप जिलाधिकारियों को सूचित करने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

4– जिला सूचना अधिकारी को जिले की वेबसाइट पर प्रदर्श कराये जाने तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार हेतु।

5 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/आयुर्वेद/होम्योपैथ अधिकारी।

22/6

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।